

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1017 / 2011 / जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स दिनेश टोबेको इण्डस्ट्रीज़, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राजेन्द्र जैन,  
अधिकृत प्रतिनिधि।

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21.02.2014

### निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 25/आर.वेट/जेयूसी/2010-11 के संबंध में है जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2010 के तहत कायम कर 1,02,230/- अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति 2,04,460/- व अनवृत्ती ब्याज 22,491/- की मांग राशियों को अपास्त करने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2008 व 03.03.2009 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि भारत सरकार के राजस्व अन्वेषण एजेन्सी (जिसे आगे 'D.R.I.' कहा जायेगा) के दल द्वारा दिनांक 11.12.2008 को की गयी थी, जिसमें यह पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अदधि में भारत के बाहर से पान मसाला/गुटखा निर्माण हेतु सुपारी का आयात किया गया है एवम् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आयातित मूल्य से कम क्रय मूल्य दर्शाते हुए सुपारी की सीमा शुल्क राशि कम जमा करवायी गयी है एवम् उक्त कम क्रय मूल्य को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संधारित की गयी नियमित लेखा-पुस्तकों में इन्द्राज नहीं कर, सीमा शुल्क का अपवंचन किया गया है। इस प्रकार की अघोषित खरीद ₹33,91,766/- पर सीमा शुल्क ₹34,59,600/- प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तो जमा करवायी गयी है परन्तु उक्त

क्रय की गयी सुपारी की उक्त कम मूल्य दर्शित क्रय को अपनी नियमित संधारित लेखा-पुस्तकों में न तो दर्शाया गया है एवम् न ही विभाग में प्रस्तुत त्रैमासिक/वार्षिक विवरणियों में वक्त जांच तक ही संशोधित कर, प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि 'D.R.I.' द्वारा की गयी जांचानुसार अपनी सहयोगी फर्म मैसर्स मालाणी रामजीवन जगन्नाथ, जोधपुर से कत्था ₹5,67,198/- अघोषित रूप से क्रय किया गया था एवम् जिस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ही एक अन्य सहयोगी फर्म मैसर्स डी.सी.ट्रेडिंग कम्पनी, मुम्बई द्वारा ₹1,75,989/- सीमा शुल्क के रूप में जमा करवायी गयी है। इस प्रकार की अघोषित खरीद ₹5,67,198/- को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपनी नियमित संधारित लेखा-पुस्तकों में न तो दर्शाया गया है एवम् न ही विभाग में प्रस्तुत त्रैमासिक/वार्षिक विवरणियों में वक्त जांच तक ही संशोधित कर, प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी त्रैमासिक/वार्षिक विवरणियों में घोषित की गये क्रय व विक्रय को अस्वीकार कर, कत्था ₹5,67,198/- को पान मसाला/गुटखा निर्माण में किये जाने व उक्त पर चुकायी गयी सीमा शुल्क ₹1,75,989/- को माल के मूल्य में शामिल करते हुये मूल निर्धारण आदेश उक्त निर्धारण रह जाने के कारण कर, ब्याज व करापवंचन के कारण कर की दोगुना शास्ति अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित करने हेतु अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया। जारी नोटिस की पालना में श्री लालचन्द मूंदड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार मांग राशियां कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा सीमा शुल्क की चोरी D.R.I. अधिकारियों के समक्ष स्वीकार की गयी थी। सीमा शुल्क विक्रय मूल्य का भाग है, जिसे विक्रय में नहीं दर्शाकर करापवंचन किया है। कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कर भी अण्डरप्रोटेस्ट जमा करवाया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही यह इंगित करता है कि व्यवहारी द्वारा क्रय मूल्य से कम मूल्य को अपने बहीयात में घोषित कर, करापवंचन किया गया है। अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से कर की

दोगुना शास्ति आरोपित की गयी थी क्योंकि व्यवहारी द्वारा अपनी सहयोगी फर्म मैसर्स मालाणी रामजीवन जगन्नाथ, जोधपुर से कत्था अघोषित रूप से कय किया गया था। जिस पर व्यवहारी की ही एक अन्य सहयोगी फर्म मैसर्स डी.सी.ट्रेडिंग कम्पनी, मुम्बई द्वारा सीमा शुल्क के रूप में जमा करवायी गयी है। इस प्रकार की अघोषित खरीद को व्यवहारी द्वारा अपनी नियमित संधारित लेखा-पुस्तकों में न तो दर्शाया गया है एवम् न ही विभाग में प्रस्तुत त्रैमासिक/वार्षिक विवरणियों में वक्त जांच तक ही संशोधित कर, प्रस्तुत किया गया था एवम् उक्त वस्तुओं पर करापवंचन किये जाने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा न केवल कर आरोपित किया गया था बल्कि कर की दोगुना शास्ति आरोपित की गयी थी जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में कर दर का बिन्दु विवादित नहीं था बल्कि यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित था कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया गया था जिसके संबंध में डी.आर.आई. द्वारा जांच की गयी थी एवम् जिसकी स्वीकारोक्ति व्यवहारी के भागीदार द्वारा की जाकर सीमाशुल्क चुकाया गया है। अतः लेखा पुस्तकों में आलोच्य अवधि की आवर्त घोषित नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशियां कायम की गयी थी जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा कतिपय न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों का गलत निर्वचन कर, अपास्त किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

5. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने कथन किया कि प्रतिकरापवंचन अधिकारियों द्वारा व्यवहारी फर्म की ऐसी कोई जांच नहीं की गई, जिसमें उचन्ती खरीद बिक्री का प्रकरण बनाया गया हो। मैसर्स डी.सी.ट्रेडिंग द्वारा कत्था आयात पर सीमा शुल्क चोरी की स्वीकारोक्ति किये जाने के आधार पर व्यवहारी परकरापवंचन का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उनके समक्ष स्वीकारोक्ति अग्रिम न्यायिक प्रक्रिया व खर्च से बचने हेतु की गयी थी। अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये हैं :-

- (i) 5 टैक्स अपडेट 14 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत-तृतीय, जयपुर बनाम मैसर्स स्वरूप नारायण शिव नारायण जयपुर
- (ii) 8 टैक्स अपडेट 229 (रा.क.बो.) मैसर्स पवन ग्रेनाईट (प्रा.) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा
- (iii) मैसर्स पवन ग्रेनाईट्स, चित्तौड़गढ़ (2004) 18 एस.टी.टी, पेज 22।
- (iv) वा.क.अ. करापवंचन-प्रथम, कोटा बनाम मैसर्स आनन्द मिनरल्स प्रा.लि. कोटा, अपील संख्या 1068/99, 778, 779/2001/कोटा निर्णय दिनांक 31.10.2002।

- (v) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त, चित्तौड़गढ़ बनाम् मैसर्स श्रीराम स्टोन एण्ड मार्बल, प्रा.लि. चित्तौड़गढ़, अपील संख्या 1542/2007/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 13.01.2009 4 टैक्स अपडेट 312 ।
- (vi) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-चित्तौड़गढ़ बनाम् मैसर्स माहेश्वरी स्टोन एण्ड मिनरल्स, प्रा.लि. चित्तौड़गढ़, अपील संख्या 1544/2007/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 13.01.2009 ।
- (vii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विशेष वृत्त, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स कपिल मार्बल, प्रा.लि. चित्तौड़गढ़, अपील संख्या 1414/2008/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 13.01.2009 ।
- (viii) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत्त, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स नाथानी मार्बल, प्रा.लि. चित्तौड़गढ़, अपील संख्या 866/2006/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 14.05.2007 ।
- (ix) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत्त, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स मीरा स्टोन्स, प्रा.लि. चित्तौड़गढ़, अपील संख्या 868/2006/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 14.05.2007 ।

6. विद्वान अभिभाषक ने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के आधारों का खण्डन करते हुये कथन किया कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच में किसी प्रकार के करापवंचन का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था बल्कि D.R.I. की जांच के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया जो कि प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इसलिये अपीलीय अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः उक्त आधारों पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

7. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा मैसर्स डी. सी.ट्रेडिंग से माल कत्था 'एफ' फॉर्म पर मंगवाया गया था तथा लेखा-पुस्तकों में इन्द्राजित है। मैसर्स डी.सी.ट्रेडिंग को स्टेटमेंट भी प्रेषित किये गये हैं। सीमा शुल्क अपवंचित क्रय का व्यवहारी द्वारा कोई करापवंचन नहीं किया गया है। अतः विभागीय अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। विशिष्ट रूप से प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1974, 1975, 1976 व 1977/2010/जोधपुर निर्णय दिनांक 20.06.2013 का प्रोद्धरित कर, कथन किया कि समान बिन्दुओं पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है। अतः हस्तगत प्रकरण भी उक्त न्यायिक दृष्टांत से आच्छादित होने के कारण विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

10. उभयपक्षीय की बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अविवादित तथ्य मुख्य रूप से यह है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही D.R.I की जांच व सीमा शुल्क विभाग को व्यवहारी द्वारा चुकायी गयी सीमा शुल्क के आधार पर की गयी है। यद्यपि यह निर्विवादित है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण/जांच की गयी है परन्तु सीमा शुल्क विभाग को चुकायी गयी सीमा शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के व्यवसाय स्थल से न तो अभिग्रहित किया गया है एवम् न ही अन्यथा कोई प्रमाण या दस्तावेज अभिग्रहित कर, स्वयम् के स्तर पर ही जांच में करापवंचन का वाद बनाया गया है। व्यवहारी द्वारा किये गये संव्यवहार एवम् निर्माण में प्रयुक्त कत्थे का प्रयोग कर, विनिर्मित पान मसालों की बिक्री, उनकी जांच दिनांक 17.12.2008 से काफी अवधि पूर्व अर्थात् निर्धारण वर्ष 2004-05 से निर्धारण वर्ष 2006-07 की अवधि में ही हो चुकी थी। उक्त वर्षों में व्यवहारी द्वारा किया गया विक्रय तत्समय के बाजार कारकों के अनुरूप तय हुयी एवम् बिक्री मूल्य के आधार पर व्यवहारी ने बनने वाले कर की राशि जमा करवायी। अपवंचित खरीद राशि एवम् सीमा शुल्क के संबंध में पाई गयी पश्चात्वर्ती बिक्री के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई स्वतंत्र जांच नहीं की गयी है। उनके द्वारा न तो कस्टम विभाग अथवा आयकर विभाग से कोई तथ्य जुटाये गये हैं। आयातित कत्था जो व्यवहारी द्वारा काम में लिये गये हैं उन पर उत्पाद शुल्क कितना चुकाया गया है? वस्तुतः कस्टम विभाग/एक्साईज विभाग का ही अंग है। अतः उनके द्वारा करापवंचित कस्टम ड्यूटी का उत्पाद शुल्क के निर्धारण में प्रभाव आना अवश्यम्भावी है। आयकर विभाग में भी उक्त करापवंचित खरीद/कस्टम ड्यूटी का प्रभाव स्वभाविक परिणति थी, परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई स्वतंत्र जांच नहीं की गयी है। अतः Under Protest कस्टम ड्यूटी जमा करवाये जाने मात्र से ही खरीद बिक्री अपवंचित माना जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का अध्ययन किया गया। उक्त निर्णयों में माननीय न्यायालय/कर बोर्ड द्वारा निरंतर मत प्रतिपादित कर यह अवधारित किया गया है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्वयं जांच कर, जब तक कर चोरी सिद्ध नहीं की जाती, तब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अभियोग के आधार पर मांग कायम करना अविधिक एवम् अनुचित है।

8. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर या बहियात मे किसी प्रकार की करापवंचन का सबूत नहीं पाया गया था, बल्कि अपीलार्थी के प्रिंसीपल की D.R.I. के अधिकारियों के समक्ष सीमा शुल्क


अपवंचन की स्वीकारोक्ति के आधार पर अपवंचित माल व्यवहारी को विक्रयार्थ प्रेषित करने के कारण बनाया गया। व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये माल में करापवंचन का कोई प्रमाण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया जाना पत्रावली से प्रतीत नहीं होता है। अन्य विभाग की जांच/सर्वे के आधार पर अपीलार्थी पर करापवंचन का अपराध सिद्ध नहीं होता है, जब तक कि स्वतंत्र जांच द्वारा करापवंचन नहीं पाया जावे। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने न्यायिक दृष्टान्त (2003) 15 टैक्स अपडेट 14 सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स स्वरूप नारायण शिवनारायण, जयपुर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि —

**".....in the case the matter for assessment is made on the basis of an extraneous evidence like disclosure of raid or finding of another depts., the onus of the Sales Tax Department to prove that the goods in question was liable to sales tax. In such cases the authorized officer has to base his decision on acceptable evidence independent of the finding of the other office/deptt."**

9. उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में अन्य फर्म के विरुद्ध आयकर या एक्साईज विभाग द्वारा बनाये गये कर अपवंचन के अभियोग के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना सिद्ध नहीं माना जा सकता। व्यवहारी द्वारा प्रिंसीपल से आयातित माल के विक्रय में किसी प्रकार का करापवंचन किया जाना निर्धारण अधिकारी प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। अतः व्यवहारी पर उचन्ती क्रय-विक्रय मानकर किये गये करारोपण को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। निर्धारण अधिकारी ने प्रिंसीपल द्वारा देश के बाहर से आयातित कत्था सीधे व्यवहारी को प्रेषित करने के आधार पर व्यवहारी द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन परिलक्षित मानते हुए करारोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में माना है कि इस प्रकरण में किसी भी तरह का बिक्री छुपाव कर निर्धारण अधिकारी ने जांच कर, साबित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में करारोपण को भी विधिक नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1974, 1975, 1976 व 1977/2010/जोधपुर निर्णय दिनांक 20.06.2013 समान बिन्दुओं पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है। अतः हस्तगत प्रकरण भी उक्त न्यायिक दृष्टान्त से आच्छादित होन व उपर्युक्तानुसार विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है

10. परिणामतः, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

  
21-2-2014  
(मदन लाल)